DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2022 ATED----------

# भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी ने श्मशान की जमीन पर बनाया होटल : भारती

## कहा- जमीन कब्जे की सीबीआइ जांच हो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हौजखास में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का मामला उजागर होने के बाद से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस मामले में भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता व विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप लगाया था, जिस पर भारती ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर मोंटी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस पर मोंटी ने कहा है कि डीडीए की जमीन कब्जाने का मामला उजागर होने से भारती हड़बड़ा गए हैं और उल्टे-सीधे आरोप मढ़ रहे हैं।

भारती ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता मोंटी ने श्मशान की जमीन पर होटल बनाया है। इसकी सीबीआइ जांच हो। भारती ने कहा कि मोंटी के अतिक्रमण के खिलाफ वर्ष 2015 में डीडीए के डिमोलिशन आर्डर का भाजपा पालन क्यों नहीं होने दे रही है? भाजपा अपने आप को हिंदू हितैषी कहती है, लेकिन उसका यह नकाब उतर चुका है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि मोंटी ने वर्ष 2007 के बाद जो जमीनें ली हैं, उसकी ईडी-सीबीआइ से जांच कराएं। उन्होंने कहा कि आप की मांग है कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद हौजखास गांव के लिए शवदाह स्थल बनाया जाए।

भारती ने कहा कि भाजपा गलत मुद्दा उठा रही है। मुद्दा हौजखास गांव के शवदाह स्थल का है। लंबे समय से मैं इस प्रयास में हूं कि गांव के लिए शवदाह स्थल बने, लेकिन वहां की जमीन मोंटी ने हथियाकर होटल बना लिया। डीडीए ने वर्ष 2015 में उस होटल का डेमोलिशन आर्डर पास किया था। उसके बाद एसडीएम आफिस के लोगों ने कई बार डिमार्केशन करने का प्रयास किया, लेकिन सभी को भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब एसडीएम निधि सरोहे डिमार्केशन करने पहुंचीं तो मोंटी और उनके गुर्गे इकबाल चौहान, विजेंदर सिंह ने उन्हें धमकाया जिसका वीडियो मैंने पिछले साल सितंबर में प्रेस कान्फ्रेंस में सबके सामने रखा था।

**मोंटी पर चल रहा है सरिया चोरी का केस :** भारती ने कहा कि मेरे राजनीति में आने से पहले 20 सितंबर, 2012 को ही हौजखास गांव के लोगों ने पंचायत घर और स्कूल की भूमि पर कब्जा करने की शिकायत एलजी को सौंपी थी। मोंटी के खिलाफ पंचायत घर का सरिया चुराने का केस चल रहा है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने गवाही भी दी थी। स्थानीय निवासी दयानद गोचवल इस केस में गवाह हैं। उन्होंने सच्चाई बयान की है। लियाकत अली ने भी इस केस में कोर्ट के सामने बयान दिया था। डीडीए ने 30 दिसंबर, 2014 को आरटीआइ का जवाब दिया था कि खसरा नंबर 277 उसकी प्रापर्टी है, जो 1967 में अधिकृत की गई थी। उस पर रेनू सिंह मोंटी का कब्जा है, जो शैलेंद्र सिंह मोंटी की पत्नी हैं।

### पोल खुल जाने पर भारती को लग रही है मिर्ची : मोंटी

मोंटी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है तो वह कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट उसमें जो भी फैसला लेगा, वह मान्य होगा। कोर्ट का फैसला आए बगैर भारती कौन होते हैं मुझे अपराधी बताने वाले। हमने डीडीए की जमीन पर कब्जा कराने का जो मुद्दा उठाया है, उस पर भारती जवाब दें कि उन्होंने डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान बनवाया है या नहीं। दरअसल, पोल खुल जाने पर भारती को मिर्ची लग रही है।

## आप विधायक पर कार्रवाई होने तक लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन : भाजपा

कब्रिस्तान विवाद को लेकर सोमनाथ भारती के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लोगों को संबोधित करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता● जागरण

- कब्जा कर सरकारी भूमि बेचना चाहते हैं आप विधायक : गुप्ता
- भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय नगर क्षेत्र में किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में करोड़ों रुपये के घोटाले के बाद अब आप विधायक सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचना चाहते हैं। आदेश गुप्ता के नेतृत्व में भापजा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मालवीय नगर क्षेत्र में आप विधायक सोमनाथ भारती द्वारा कब्रिस्तान की जमीन को कथित रूप से बेचने और उसके साथ लगी डीडीए की जमीन पर कब्जा करने के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता आदित्य झा, पूर्व विधायक अनिल शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, पूर्व निगम पार्षद नंदनी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

गुप्ता ने भारती की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि हौजखास क्षेत्र में प्रसिद्ध डीयर पार्क के करोड़ों रुपये की जमीन पर आप विधायक ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ लगती जमीन पर किया गया है जो वास्तव में डीडीए की जमीन है। गुप्ता ने इसे लैंड जिहाद का नाम देते हुए आरोप लगाया है कि आप विधायक भारती ने सरकारी प्लाट बेचकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद आप भ्रष्टाचार के नित नए रिकार्ड बना रही है, जबकि भाजपा सरकारी संरक्षण प्राप्त भूमाफिया के विरोध में प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक भूमि हथियाने के मुद्दे पर आप नेताओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। उन्होंने उपराज्यपाल से भी इस मामले में शामिल पांच आरोपितों को सजा दिलाने की मांग की है।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2022 APERS----------DATED----------

# जमीन पर कब्जे का खेल है कब्रिस्तान विवाद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : हौजखास गांव के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के डीयर पार्क में एक कब्र पर विवाद छिड़ा है। कब्र को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) में जमकर बयानबाजी हो रही है। भाजपा से दो बार निगम पार्षद रह चुके शैलेंद्र सिंह मोंटी ने मालवीय नगर से आप विधायक व डीडीए बोर्ड के सदस्य सोमनाथ भारती पर आरोप लगाया है कि उन्होंने डीडीए में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां कब्रिस्तान बनवा दिया। अब सोमनाथ भारती डीडीए अफसरों पर दबाव बना रहे हैं कि डीडीए इस पार्क को कब्रिस्तान घोषित करे और पार्क के बीच से आर-पार जाने के लिए रास्ता दे। सोमनाथ भारती ने पहले पार्क के अंदर कब्रिस्तान का बोर्ड लगाया। बोर्ड पर सौजन्य- विधायक सोमनाथ भारती भी लिखा है। हालांकि, इस विवाद के कुछ दिन पहले ही उनके नाम को पोत दिया गया है। मोंटी का आरोप है कि 10 सितंबर को कुछ लोगों ने पार्क के अंदर एक शव भी दफनाया। हालांकि, शव किसका था, इसका पता अभी भी नहीं चल सका है।

बुधवार को दैनिक जागरण की टीम पार्क पहुंची। 10 सितंबर को जहां शव दफनाया गया है वह कब्र बोर्ड से करीब 500 मीटर दूर है। वहां तक जाने के लिए पगडंडी है। पार्क में लगे बोर्ड और कब्र के बीच में पड़ने वाले काफी गहरे नाले को कई ट्राली मिट्टी से पाटकर रास्ता बना दिया गया है। हालांकि, नाला काफी पहले पाटा गया है, लेकिन मिट्टी के ताजा ढेर मिलने से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी नाले के बड़े हिस्से को पाटा जा रहा है। जागरण टीम को यहां दो और कब्रें मिलीं, जो एक-दो माह पुरानी लग रही हैं।

हौजखास गांव स्थित डीयर पार्क में 10 सितंबर को दफनाया गया शव। इसी कब्र को लेकर चल रहा है विवाद● जागरण

> जब डीडीए, एमसीडी और पुलिस भाजपा के पास है, तो डीडीए की जमीन पर मैं कैसे कब्जा करवा सकता हूं। अपने नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए भाजपा यह नाटक कर रही है। मोंटी ने डीडीए की जमीन पर कई बिल्डिंगें बना रखी हैं। डीडीए की जो जमीन श्मशान के लिए छोड़ी गई थी, उस पर बने मोंटी के होटल को तोड़ने के लिए डीडीए ने आर्डर जारी कर रखे हैं, लेकिन भाजपा उसे बचा रही है। भाजपा के सारे नेता मिलकर अब मोंटी के भ्रष्टाचार को दबाने में जुट गए हैं।
>
> -**सोमनाथ भारती**, आप विधायक, मालवीय नगर

## कब्रिस्तान घोषित करने का बना रहे दबाव : मोंटी

यहां वक्फ बोर्ड की पौने एक एकड़ जमीन (खसरा नंबर- 261 व 262) पर कब्रिस्तान है जिस पर कुछ लोगों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है और करीब 260 झुग्गियां बनाकर उन्हें किराये पर दे दी हैं। वक्फ बोर्ड ने वर्ष 2014 में तहसीलदार हौजखास को पत्र लिखकर मांग की थी कि वक्फ बोर्ड की जमीन का डीमार्केशन करवाकर उसे अतिक्रमणकारियों से खाली कराया जाए। शैलेंद्र सिंह मोंटी का आरोप है कि कब्रिस्तान पर कब्जा करके लोगों ने न केवल झुग्गियां, बल्कि इमारतें तक बना ली हैं। अब डीडीए के पार्क में शव दफनाकर, बोर्ड लगाकर साजिश के तहत इसे कब्रिस्तान घोषित करने का दबाव बनाया जा रहा है। मोंटी का आरोप है कि यहां सोमनाथ भारती के चहेते बिल्डरों ने इमारतें बनाई हैं। वह पार्क में से आरके पुरम तक के लिए रास्ता इसलिए मांग रहे हैं, ताकि जमीन की कीमत बढ़ जाए। डीडीए द्वारा वहां तैनात एक गार्ड ने बताया कि यह बोर्ड पिछले साल ही लगाया गया था। गार्ड ने बताया कि यहां हर माह एक-दो शव दफनाए जा रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

# 'DDA's slum rehab plan a non-starter'

Risha Chitlangia
risha.chitlangia@htlive.com

**NEW DELHI:** The Delhi Development Authority (DDA) has not been able to implement any in situ (in the same place) slum redevelopment project in the past decade, officials of the agency said.

Two DDA officials aware of the matter said that in the past two years, the agency issued tenders for 10 projects to provide affordable housing to nearly 22,000 people living in slums clusters in various parts of the city. But, it was not able to award work for the projects due to poor response from developers, officials said.

Of the 10 projects, the land-owning agency received bids only for six but the work couldn't be awarded as the developers asked DDA for financial assistance.

Some of these projects are located in Dilshad Garden, Shalimar Bagh, Rohini, Pooth Kalan, Haiderpur, Okhla Industrial area, Vasant Kunj and Kalkaji.

The failure of the agency is significant in the light of findings by the Housing and Land Rights Network (HLRN), which is its latest report that was released on Wednesday, has said that close to 207,000 people were evicted from their homes in India in 2021, including 13,750 people who were evicted during the peak of the second wave of Covid-19 in April and May last year. Around 59% of the evicted people have not been resettled or received compensation from the government agencies, the report, titled 'Forced Eviction in India in 2021', said.

> Developers want DDA to provide assistance of ₹100-200 crore or more depending on the location of the projects... This is not possible
>
> **SENIOR DDA OFFICIAL**

A senior DDA official who asked not to be named said: "In the past few years, a lot of changes have been made in the policy to ensure increased participation from private concessionaires without compromising on the interest of slum residents. But we have not got a good response. Developers want DDA to provide financial assistance to the tune of ₹100-200 crore or more depending on the location of the projects, in addition to the remunerative component. Now, this is not possible. We invited bids for the projects after doing a detailed analysis, including financial viability."

# 870 DDA flats in Narela sold after LG intervenes

**NEW DELHI:** The Delhi Development Authority (DDA) has finally been able to sell some of its flats in Narela after lieutenant governor (LG) Vinai Kumar Saxena directed the planning authority to amend eligibility conditions and improve transport connectivity to the area.

DDA has been struggling to sell the flats in Narela, with residents complaining that the area has poor transport connectivity, lack of health infrastructure, and security concerns. Earlier this month, it put on sale 1,281 flats. Officials said 1,940 people have registered for the flats and 870 have been sold.

"On the instructions of the LG, DTC has started operating buses in two shifts from Narela Pocket-G and Narela Sector-A1 to Central Secretariat... Land has been allotted to Delhi Police for the construction of 11 police stations," said an official.

At an August 3 meeting, it was decided for EWS applicants to have an annual individual income of less than ₹3 lakh. "Instead it was decided to allot such flats to those with family income below ₹10 lakh per annum," the official said. HTC

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022

# LG steps in, DDA sells 870 Narela flats in 15 days

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** Delhi Development Authority (DDA) has sold 870 out of total 1,281 previously 'unsold' flats in Narela in the last 15 days on first come, first served basis after the intervention of lieutenant governor VK Saxena, who is also the DDA chairman, Raj Niwas said in a statement.

The statement said that the LG's intervention, which included amending the eligibility criteria for buying houses and efforts towards developing transport connectivity, security and health services in Narela, has given the sale of flats an impetus.

DDA has been offering 509 LIG and 772 EWS flats at Narela on a first come, first served basis from September 5, for which it has received 1,940 registrations and 870 flats — 619 EWS and 251 LIG flats — have already been sold. The sale of all the 1,281 flats is expected to fetch Rs 196.9 crore, it said.

In the meeting of DDA, chaired by the LG on August 3, it was decided to do away with the requirement of having annual individual income of less than Rs 3 lakh for applicants of EWS categories and less than Rs 10 lakh as family income. Instead, the authority decided to allot such flats only based on annual family income below Rs 10 lakh per annum as certified by competent officers or authority, which the statement said led to many more applicants becoming eligible.

The statement also said that the decision to shift from lottery mode for allotment of houses to first come, first served basis, which provides the opportunity to the buyer to first see the property that he is buying and then decide, has also led to an enthusiastic response from the people.

Raj Niwas said that on the instructions of the LG, Delhi Transport Corporation has started operating two buses each in two shifts on routes connecting Narela Pocket-G and Narela Sector-A1 to Central Secretariat through major localities in the city. It said that land has been allotted to Delhi Police for construction of 11 police stations in various sectors in Narela.

# 'Land grab' in south Delhi: MLA hits back, writes to LG

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** A day after the Delhi Bharatiya Janata Party (BJP) alleged that a piece of land in Hauz Khas worth crores of rupees has been encroached upon for extending a graveyard at the behest of the local MLA Somnath Bharti, the MLA wrote a letter to lieutenant governor VK Saxena seeking action against an encroachment in the area and provide the space for a *shamshan ghat* (cremation ground).

Bharti also said that there was no graveyard in the area and that the BJP was diverting the issue to protect one of its former municipal councillors who had grabbed a piece of land to build a hotel in the area. "Since I am pursuing this case and want the encroached land reclaimed, the BJP is targeting me," the MLA has claimed.

In the letter to the LG, he said that he has been demanding action on a demolition order passed by Delhi Development Authority (DDA) on the piece of land. He has been demanding for a long time that the land be converted into a shamshan ghat to meet the requirement of Hauz Khas village residents. He has requested the LG to direct DDA to demolish the alleged illegal structure and build a shamshan ghat on the plot.

Delhi BJP chief Adesh Gupta, who had earlier alleged that two men, who have encroached upon the Deer Park land for graveyard, are close to the AAP MLA and enjoy his protection and urged the LG to order a thorough probe, led a protest against Bharti on Wednesday.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- THE INDIAN EXPRESS.-----

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 22 सितंबर 2022

**DEATH OF 2 INSIDE SEWER**

# Jal Board, MCD say won't pay compensation; HC issues notices

**MALAVIKA PRASAD**
NEW DELHI, SEPTEMBER 21

DELHI High Court Wednesday issued notices to Delhi Development Authority, Delhi Police and National Commission for Safai Karamcharis after taking suo motu note of a September 11 news report which stated that a sweeper and a security guard had died while cleaning a sewer in Mundka.

During the last hearing, the division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad had ordered registration of a public interest litigation on the case, issued notice to the MCD, the Chief Secretary of the Delhi government and the Delhi Jal Board. It had appointed senior advocate Rajshekhar Rao as amicus curiae.

On Wednesday, the court asked the counsel for DJB and MCD whether their clients were liable to pay compensation to the family of the deceased or grant appointment to their legal heirs. The counsel for DJB submitted, "It is a DDA locality and under the supervision of the body...," adding that the DJB is not liable to pay compensation or grant appointment. The counsel for MCD also submitted that the MCD is not liable.

Senior advocate Rajshekhar Rao submitted a compilation of relevant judgments and statutes and submitted that the court is seized of two matters, including a PIL wherein in 2017, it had passed detailed directions asking the state and various authorities to tell the court what steps they had taken with respect to manual scavenging. "Today the prohibition is on engaging anyone without a licence, and for manual scavenging. The DJB at the very least should then have a list of persons who can do that job... The statute authorises the DJB to sub-contract. The law is quite clear... it is the state who is responsible," Rao submitted.

On the last date of hearing, Chief Justice Sharma observed that "there is a Supreme Court judgment on the subject which says the moment the death occurs of a person who was manually doing scavenging work, the family is entitled to Rs 10 lakh immediately and a job to one of the member of the family". The matter is next listed on September 27.

The two men died after being trapped in a sewer while it was being cleaned in Outer district's Bakkarwala. The incident took place on September 9 at a DDA apartment complex in Loknayak Puram. Police said the victims were identified as Rohit Chandilya (32), a private sweeper who worked at the complex, and Ashok, a guard with the DDA who tried to rescue Chandilya.

# जीटीबी एनक्लेव में रामलीला को लेकर ठनी, मामला कोर्ट में

**प्रस, कड़कड़डूमा कोर्ट:** जीटीबी एनक्लेव के डीडीए ग्राउंड में रामलीला आयोजन को लेकर दो रामलीलाओं समितियों के बीच ठन गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है। हालांकि फिलहाल मामला कोर्ट में है। सिविल जज हिमांशु रमन सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के अलावा डीडीए के वीसी मनीष गुप्ता के अलावा इस्टिट्यूशन लैंड एंड बिल्डिंग के डायरेक्टर कमल गुप्ता और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सुशील सिंघल सहित छह लोगों को 22 सितंबर को तलब किया है। ग्राउंड को लेकर विवाद श्री आदर्श रामलीला कमिटी और श्रीराम लीला समिति के बीच है।

श्री आदर्श रामलीला कमिटी के पदाधिकारियों का कहना है कि एक दशक से अधिक समय से उनकी रामलीला इसी ग्राउंड पर होती आई है। शुरुआत में जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें उनकी लीला का भी नाम शामिल था, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा लिस्ट जारी गई तो उसमें उनकी लीला का नाम हटाकर श्रीरामलीला समिति का नाम डाल दिया गया। खुद को पुरानी लीला बताने वाली कमिटी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

# आप विधायक के घर पर बीजेपी का प्रदर्शन

**विस, नई दिल्ली :** दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भारती पर डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे कब्रिस्तान में तब्दील करवाने का आरोप लगाया था। उसी मामले को लेकर भारती के खिलाफ उनके आवास पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

आदेश गुप्ता ने सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग करते हुए दावा किया कि विधायक सोमनाथ भारती ने हौज खास क्षेत्र के प्रसिद्ध डियर पार्क के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड के सहयोग से पार्क से सटे कब्रिस्तान के पास की जमीन पर यह कब्जा किया गया है, जो असल में डीडीए की जमीन है।

अवैध कब्जे का लगाया आरोप

## सोमनाथ भारती का BJP नेता पर पलटवार

**विस, नई दिल्ली :** आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी पर श्मशान की जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां होटल बनवाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। सोमनाथ भारती का आरोप है कि मोंटी के अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए 2015 में ही डिमोलिशन ऑर्डर जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी उस आदेश का पालन होने से रोक रही है।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

हिन्दुस्तान

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED--22/09/2022

# जमीन को लेकर आप-भाजपा के बीच जुबानी जंग

**नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।** आप विधायक सोमनाथ भारती ने भाजपा नेता व पूर्व पार्षद शैलेंदर सिंह मोंटी पर श्मशान की जमीन हड़पकर होटल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ 2015 में डीडीए के आदेश का भाजपा पालन नहीं होने दे रही है। भाजपा के जमीन कब्जाने के आरोपों पर सोमनाथ भारती पर जमीन कब्जा करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा गलत मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुद्दा हौज खास गांव के निवासियों के श्मशान घाट का है। श्मशान घाट की जमीन भी है लेकिन उसे भाजपा नेता ने कब्जा करके होटल बना लिया है। डीडीए ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश भी दिया लेकिन कई बार कोशिश के बाद उसे गिराया नहीं जा सका है।

## आप विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया

मालवीय नगर से आप विधायक सोमनाथ भारती पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए भाजपा ने बुधवार को प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आप विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि सोमनाथ भारती लगातार जमीन पर अवैध कब्जे करा रहे हैं।

भाजपा ने बुधवार को आप विधायक सोमनाथ भारती पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और विधायक पर कार्रवाई की मांग की। • एजेंसी

## एलजी के दखल से 15 दिन में 870 फ्लैट बिके

**नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।** नरेला में बने डीडीए के फ्लैट आखिरकार उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद बिकने लगे हैं। विज्ञापन जारी होने के महज 15 दिन के भीतर डीडीए द्वारा निकाले गए 1281 फ्लैटों में से 870 बिक गए हैं। पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत यह फ्लैट निकालने की वजह से डीडीए को शानदार परिणाम मिले हैं।

जानकारी के अनुसार डीडीए द्वारा कई वर्ष पहले नरेला में एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए गए थे। डीडीए ने कई आवासीय योजनाओं में इन फ्लैटों को बेचने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल रहे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पद संभालने के बाद इन फ्लैटों को बेचने के नियम में बदलाव किया। उन्होंने पहले आओ पहले पाओ के तहत बेचने की योजना बनाई।

## गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी बच्चों की रामलीला

**नई दिल्ली।** दिल्ली में दो वर्ष बाद बच्चे रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। द्वारका सेक्टर-13 के डीडीए ग्राउंड में आयोजित होने वाली इस रामलीला का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है। दस दिन तक लगभग चार हजार स्कूली बच्चे लीला का मंचन करेंगे। द्वारका सेक्टर-13 की बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल ने बताया कि विश्व में द्वारका की यह इकलौती रामलीला है, जिसमें सिर्फ बच्चे ही लीला का मंचन करते हैं। इस रामलीला का 29 सितंबर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने जा रहा है।

## निःशुल्क इलाज पर जवाब मांगा

**नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।** उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल भूमि आवंटन शर्तों के तहत कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मरीजों को निशुल्क इलाज मुहैया कराने पर जवाब मांगा है।

अगर अस्पताल प्रबंधन गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज देने की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो डीडीए की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने जवाब देने के लिए डीडीए को दो सप्ताह का समय दिया है।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

22 सितम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा ----DATED----

# पहले आओ-पहले पाओ योजना के फ्लैटों की बिक्री से डीडीए में उत्साह

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नरेला में तैयार फ्लैटों की बिक्री से प्राधिकरण अधिकारियों में उत्साह है। खरीददार नरेला के फ्लैटों में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

अब तक करीब 870 फ्लैटों की बिक्री हो चुकी है। डीडीए ने पहले आओ-पहले पाओ के तहत यह ऑनलाइन फ्लैट योजना 12 सितम्बर को लांच की थी। इस योजना में एलआईजी, वन बेडरूम एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 9,811 फ्लैट शामिल हैं।

**15 दिनों में बिके 870 फ्लैट**

**डीडीए ने नरेला में बनाया 9,811 फ्लैट**

सूत्रों के मुताबिक पहली बार नरेला के इन फ्लैटों को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। उप-राज्यपाल ने भी इस योजना को लेकर डीडीए की सराहना की है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना की बिक्री की यही रफ्तार रही, तो डीडीए को इस योजना में शामिल फ्लैटों की बिक्री से 19690 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। डीडीए की जिन फ्लैटों की अब तक बिक्री हो चुकी है, उनमें 619 ईडब्ल्यूएस एवं 251 एलआईजी श्रेणी के फ्लैट शामिल हैं। दरअसल लंबे समय से डीडीए की अधिकांश आवासीय योजनाएं फ्लॉप साबित हुई हैं। इन योजनाओं में अधिकांश फ्लैट नरेला के ही शामिल रहे हैं। नरेला की संपत्तियों की बिक्री को लेकर डीडीए के अधिकारी चिंतित थे। उम्मीद है कि इस योजना में मिले परिणाम से अधिकारियों की चिंता दूर होगी।

इससे पहले भी डीडीए ने आवासीय योजना लांच की थी, लेकिन उसे निराशा ही मिली थी। जो फ्लैट बिके थे, उसे भी बाद में सफल आवेदकों ने वापस कर दिए थे। डीडीए के एक अधिकारी का कहना है कि कुछ सालों में डीडीए ने नरेला की कनेक्टविटी को लेकर काफी काम किया है। परिवहन सेवा को लगातार मजबूत किया जा रहा है। नरेला में परिवहन का हब बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू होगी।

# ईडब्ल्यूएस रोगियों का इलाज न करने पर डीडीए से जवाब-तलब

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** हाईकोर्ट ने राजीव गांधी कैंसर संस्थान में ईडब्ल्यूएस रोगियों का निशुल्क इलाज नहीं करने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रामण्यम प्रसाद की पीठ ने डीडीए को इसके बारे में दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

साथ ही बताने को कहा है कि क्या अस्पताल /ईडब्ल्यूएस रोगियों को 10 फीसदी आईपीडी व 25 फीसदी ओपीडी में मुफ्त इलाज दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो वह उस अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। पीठ ने इसके साथ ही सुनवाई 1 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। पीठ ने डीडीए को यह निर्देश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दाखिल पर सुनवाई करते हुए दी है। याचिका में राजीव गांधी कैंसर संस्थान के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई है कि वह ईडब्ल्यूएस रोगियों को 10 फीसदी आईपीडी व 25 फीसदी ओपीडी में मुफ्त इलाज करे। उन्होंने कहा अस्पताल ने तय शर्तों के आधार पर डीडीए से सस्ती दरों पर जमीन ली है

# हाईकोर्ट ने पुलिस व डीडीए से मांगा जवाब

## नाले की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत का मामला

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** हाईकोर्ट ने मुंडका इलाके में एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण मरने वाले दो लोगों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार व नगर निगम के मुआवजे व पीड़ित परिवार को नौकरी देने से पीछे हटने के बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई 27 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी है।

पीठ 11 सितम्बर की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के वकील ने पीठ से कहा कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है, वह डीडीए के अंतर्गत आता है। यहां तक कि मृत सफाईकर्मी भी डीडीए का कर्मचारी था। मृतक के वैध उत्तराधिकारी को मुआवजा देने के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए उचित प्राधिकार डीडीए है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वकील ने भी इसी तरह का तर्क दिया।

**दिल्ली पुलिस व एससीएसके को भी पक्षकार बनाया जाए :** अदालत की मदद के लिए नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा

**मुआवजा न देने व पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी देने से पल्ला झाड़ने के बाद कोर्ट का नोटिस**

**जल बोर्ड के वकील ने कहा, घटनास्थल डीडीए के अंतर्गत व मृतक डीडीए का कर्मचारी**

**दिल्ली नगर निगम ने भी डीडीए पर मुआवजे की जिम्मेदारी डाली**

कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और एनसीएसके को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने वर्ष 2017 में सरकार और विभिन्न अधिकारियों को ऐसे मामले में विस्तृत निर्देश पारित किए थे कि उन्होंने इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। लेकिन अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यह पूर्ण उदासीनता को दर्शाता है।

राव ने कहा आज बिना लाइसेंस के किसी को भी ऐसे काम में शामिल करने और हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध है। डीजेबी के पास कम से कम ऐसे पहचाने गए लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों की एक सूची होनी चाहिए जो काम को कर सकते हैं। कठिनाई है हमारे सिस्टम की कि निजी व्यक्ति अपने काम के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, जो बिना लाइसेंस के और निजी ठेकेदार होते हैं। इसके बाद पीठ ने डीडीए, दिल्ली पुलिस और एनसीएसके को नोटिस जारी किया।

मालूम हो कि 9 सितम्बर को दिल्ली के मुंडका इलाके में सीवर में घुसे एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया था कि सफाई कर्मी सीवर को साफ करने गया था और जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गया था। उसे बचाने सुरक्षा गार्ड भी सीवर में उतरा और वह भी बेहोश हो गया। उसने कहा कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

राहत

उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद नरेला में डीडीए फ्लैटों की बिक्री में आई तेजी

# नरेला में15 दिन में 870 फ्लैटों की हुई बिक्री

अमर उजाला ब्यूरो

**नई दिल्ली।** दिल्ली के उप राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद नरेला उप नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को पुख्ता किया जा रहा है। परिवहन की बुनियादी सुविधा हो या पुलिस चौकी के लिए जगह आवंटित किए जाने से हालात बदलने लगे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए एमसीडी को डिस्पेंसरी के लिए जगह मुहैया करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। इस तरह की पहल से बाहरी दिल्ली के नरेला के विकास को नई रफ्तार मिली है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के कारण सैकड़ों फ्लैटों की बिक्री नहीं हुई थी। पिछले पंद्रह दिनों के दौरान डीडीए ककी ओर से फ्लैटों के ऑनलाइन

आवास योजना के तहत 870 फ्लैटों की बिक्री हो चुकी है।

राज निवास की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद संबंधित विभागों और अधिकारियों ने इस दिशा में पहल की है। दिल्ली के उपराज्यपाल, डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दो रुटों पर बस सेवा की शुरुआत की है। नरेला पॉकेट-जी और नरेला सेक्टर-ए1 से केंद्रीय सचिवालय ने 120 सी और 120ई रूट के लिए बस सुविधा होने से हजारों यात्रियों को फायदा होगा।

इससे बहारी दिल्ली से प्रमुख इलाकों तक की पहुंच आसान हो गई। 11 पुलिस चौकियों के निर्माण के लिए नरेला के अलग अलग सेक्टरों में दिल्ली पुलिस को जमीन आवंटित की गई है। नरेला के सेक्टर-जी7/जी 8 में भी तैयार फ्लैट आवंटित किए गए हैं। पुलिस चौकी में इस महीने के अंत तक कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह दिल्ली नगर निगम को डिस्पेंसरी के लिए जल्द जल्द फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

## 12 सितंबर को लागू हुई थी योजना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 12 सितंबर को नरेला में करीब 8,500 फ्लैटों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों का पहले आओ, पहले पाओ आधार पर आवंटन किया जाएगा। नरेला में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के बाद डीडीए के अब तक नहीं बिकने वाले एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बिक्री में एलजी के हस्तक्षेप के बाद तेजी आई है। महज 15 दिनों में 1281 में से 870 फ्लैटों (ईडब्ल्यूएस 619 और एलआईजी 251)की बिक्री हो चुकी है।

# हाईकोर्ट ने पुलिस और डीडीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अमर उजाला ब्यूरो

मुंडका में सीवर में घुसे दो लोगों की मौत का मामला

**नई दिल्ली।** हाईकोर्ट ने मुंडका इलाके में एक सीवर के अंदर जहरीली गैस से दो लोगों की मौत मामले में पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। दिल्ली सरकार व नगर निगम द्वारा मुआवजे व पीड़ित परिवार को नौकरी देने से पीछे हटने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भी नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पेश वकील ने पीठ को अवगत कराया कि प्राधिकरण न तो इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है और न ही मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारी को नौकरी देने के लिए। वहीं, दिल्ली नगर निगम के वकील ने भी दलील दी कि निगम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

सुनवाई के दौरान मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने का अदालत ने एक जनहित याचिका सहित दो समान मामले पीठ के पास लंबित है और उन पर सुनवाई 9 नवंबर तय है। पीठ ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तय की है।

# सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन

**नई दिल्ली।** प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर कब्रिस्तान की जमीन बेचने और डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप मढ़ा है। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग की।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि हौज खास क्षेत्र में प्रसिद्ध डियर पार्क के एक हिस्से पर सोमनाथ भारती ने कब्जा कर लिया है। कब्जे का काम वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ लगती जमीन पर किया गया है, जो कि वास्तव में डीडीए की जमीन है। गुप्ता ने इसे लैंड जिहाद का नाम देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासमखास सोमनाथ भारती सरकारी प्लॉट बेच कर करोड़ों का घोटाला करने का काम किया है। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक भूमि हथियाने के मुद्दे पर आप के नेताओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। ब्यूरो

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPA

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | SEPTEMBER 22, 2022

# DDA sold 870 of 1,281 Narela flats in 15 days: L-G

**STAFF REPORTER** ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has managed to sell 870 flats out of 1281 advertised in Narela, outer district within just 15 days .

According to Raj Niwas sources, the sudden increase in the applications for buying the Authority Low-Income Group (LIG) and Economically Weaker Section (EWS) flats in Narela is because of the Lieutenant-Governor (L-G) VK Saxena interventions that included amending the eligibility criteria for buying houses and concerted efforts towards developing Transport Connectivity, Security and Health Services in the area.

From linking it with buses to allotting land for setting up new police stations, authorities are working on propping up civil and security infrastructure in Narela, the outer Delhi area where thousands of houses built by the DDA still remain unsold because of poor connectivity. "The DDA has got a very impressive response on its latest advertisement for sale of LIG and EWS Flats at Narela on a 'first-come-first-serve' basis. In the time frame of 15 days, out of total 1281 flats including EWS 772 and LIG 509 which has been put up for sale, the authority has received 1940 registrations. The 870 Flats consist of EWS 619 and LIG 251 has already been sold till the date. The sale of these 1281 Flats is expected to fetch Rs. 196.90 Crore," sources in Raj Niwas said.

The Delhi Lieutenant Governor is the chairman of the DDA. "The DTC has started operating two buses each in two shifts on route no 120C and no 120E from Narela Pocket-G and Narela Sector-A1 to Central Secretariat via major localities in the city," it said. Also, land has been allotted to Delhi Police for construction of 11 police stations in various sectors in Narela.

A ready-to-occupy flat has also been allotted in Sector-G7/G8 of Narela to the Delhi Police for setting up of a Police Chowki, and it will start functioning by end of this month, the statement said. "Similarly, flats have also been allotted for setting up of dispensaries by the Municipal Corporation of Delhi at the earliest, and surveys for the same have already been conducted," it said.

# 'Demolish hotel built on encroached DDA land'

## BJP leader built hotel on cremation ground, probe this land grabbing in Hauz Khas, Somnath Bharti tells L-G

**STAFF REPORTER** ■ NEW DELHI

AAP MLA Somnath Bharti wrote to Lieutenant-Governor (L-G) VK Saxena, demanding action on the demolition order passed by the Delhi Development Authority (DDA) almost seven years ago against a building built on the encroached land of Rose Garden of Hauz Khas.

Bharti also asked the L-G to build a 'Shamshan Ghat' to meet the requirement of the local people. Bharti alleged that the BJP leader Shailender Singh Monty built a hotel on a Hindu cremation ground. This is a matter of land grabbing, and the L-G must investigate it, he said.

"In almost every authority meeting I have been demanding action on the demolition order passed by the DDA almost 7 years ago against a building built on the encroached land of the Rose Garden of Hauz Khas by a person named Shailendra Singh Monty.

This is duly recorded in the minutes of all authority meetings. At present this building is being used as a hotel and lakhs of rupees are being earned from this illegal structure built on DDA land. All demarcation reports have confirmed that this building is on DDA's encroached land," the letter read.

"For long I have been demanding the same to be converted into a 'shamshan ghat' to meet the requirement of a cremation ground for Hauz Khas Village residents and hence you are earnestly requested to direct officers concerned in the DDA to demolish this illegal structure and build a 'shamshan ghat'," the letter read. "I have earmarked funds from MLALAD funds towards the construction of the same.

In every authority meeting you have clearly expressed that you are against encroachment and you will not allow any encroachment to continue on DDA lands. I have been requesting in every authority meeting for you to act against this encroachment but nothing has yielded so far," it stated.

"Is the reason behind your inertness on this issue due to the fact that the encroacher belongs to the BJP? Misuse of your office by this land mafia can be ascertained by the fact that when the DDA had passed this demolition order years ago, this illegal building was sealed but Monty was given the liberty to de-seal the property illegally and start using the same," the letter further read. Bharti questioned why the BJP was not allowing the DDA to demolish Monty's encroachment? "The BJP has no right to call itself a well-wisher of Hindus. Their real face has been exposed in front of the country. Monty grabbed a lot of land after he became a councillor in 2007. The L-G should order ED-CBI investigation on all the land he holds illegally. The AAP demands that land encroachment should be cleared and residents of Hauz Khas village need their cremation ground immediately," Bharti added.

## BJP holds protest at Bharti's house over 'land scam'

**STAFF REPORTER** ■ NEW DELHI

Led by the State BJP president Adesh Gupta, the Delhi BJP on Wednesday staged a demonstration outside the residence of AAP MLA Somnath Bharti against alleged encroachment of land worth Rs 1 crore at the Deer Park in Hauz Khas area in collaboration with the Waqf Board on the land adjoining the graveyard which is actually DDA's land. They also termed this alleged encroachment as 'Land Jihad'.

Addressing the protesters, Gupta alleged that after scams in the health and transport sectors, Chief Minister Arvind Kejriwal has now started selling Government land. While demanding the dismissal of Bharti, Gupta said that Kejriwal's close aide Bharti has done a scam worth crores of rupees by selling Government plots. Gupta said the protest will continue till concrete action is taken against AAP leaders on the issue of land encroachment by Government-protected land mafia. He also asked Lieutenant Governor VK Saxena to punish five accused people involved in case. During the protest senior party leaders including Leader of Opposition Ramvir Singh Bidhuri and State vice-president Rajan Tiwari were present.

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPE THURSDAY, 22 SEPTEMBER, 2022 | NEW DELHI

**WITHIN 15 DAYS, 1,281 FLATS PUT UP FOR SALE RECEIVED 1,940 REGISTRATIONS**

# Sale of DDA's 'unsold' LIG & EWS flats at Narela picks up following L-G's intervention: Officials

**SATVIKA MAHAJAN**

**NEW DELHI:** As per L-G VK Saxena's office, sale of DDA's 'unsold' LIG and EWS flats at Narela picks up following the L-G's intervention. This included amending the eligibility criteria for buying houses and concerted efforts towards developing transport connectivity, security and health services in Narela, DDA's efforts in disposing its housing inventory in Narela has received a sure impetus.

DDA's latest advertisement on September 5, 2022 for sale of LIG and EWS flats at Narela on a 'first-come-first-serve' basis has received very good response from the people. Within 15 days, 1,281 flats (EWS 772 & LIG 509) put up for sale have received 1,940 registrations and 870 flats (EWS 619 & LIG 251) have already been sold. The sale of these 1,281 flats is expected to fetch Rs 196.90 crore.

In the meeting of the DDA chaired by the L-G on August 3, 2022, it was decided to do away with the requirement of having annual individual income of less than Rs 3 lakh for applicants/allottees of EWS categories and less than Rs 10 lakh as family income. Instead the authority decided to allot such flats only on the basis of annual family income below Rs 10 lakh per annum as certificated by the Competent Officer/Authority. This led to many more applicants becoming eligible for applying for such houses in LIG & EWS categories.

Similarly, the decision to shift from lottery mode for allotment of houses to 'first-come-first-serve' basis, which provides the opportunity to the buyer to first see the property that he is buying and then decide, rather than being forced to take the one allotted through a lottery, has also led to an enthusiastic response from the people. The disposal of these Flats through lottery was proving to be a major bottleneck in their sale.

# Sewer deaths: HC seeks cops & DDA's response

**OUR CORRESPONDENT**

**NEW DELHI:** The Delhi High Court Wednesday sought the response of the Delhi Police, DDA, and National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) in a matter relating to the death of two persons who inhaled toxic gases inside a sewer in the national Capital. A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was hearing PIL initiated on its own based on a news report of September 11.

A sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer. When the sweeper had gone down to clean the sewer, he fainted and the guard followed to rescue him and he also fell unconscious, the police had said.

The two men were taken to a hospital where they were declared brought dead.

During the hearing, the bench was informed by the counsel for DJB that the area where the incident took place comes under the DDA and even the sweeper was an employee of DDA.

DJB's counsel said it was not entitled to pay compensation to the legal heirs of the deceased and the appropriate authority would be DDA. The counsel for MCD also made similar

**DEATHS IN SEWER: DELHI HC SEEKS RESPONSE OF POLICE AND DDA**
**NEW DELHI:** The Delhi High Court Wednesday sought the response of the Delhi Police, DDA, and National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) in a matter relating to the death of two persons who inhaled toxic gases inside a sewer in the national capital. A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was hearing public interest litigation (PIL) initiated on its own based on a news report of September 11. A sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
## LIBRARY
## PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- पंजाब केसरी ----DATED---- 22 सितम्बर, 2022 ▸ गुरुवार


**आप का आरोप** विधायक सोमनाथ भारती ने जमीन हड़पने की सीबीआई जांच की मांग की

# 'मोंटी ने श्मशान की जमीन पर बनाया होटल'

शैलेंदर सिंह मोंटी

सोमनाथ भारती

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी) : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा के नेता शैलेंदर सिंह मोंटी ने श्मशान की जमीन पर होटल बनाया है। जमीन हड़पने की सीबीआई जांच हो। भारती ने कहा कि मोंटी के अतिक्रमण के खिलाफ 2015 में डीडीए के डिमोलिशन आर्डर का भाजपा क्यों पालन नहीं होने दे रही है? बीजेपी अपने आप को हिन्दू हितैषी कहती है लेकिन बीजेपी का यह नकाब उतर चुका है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि शैलेंदर सिंह मोंटी ने 2007 के बाद जो जमीनें ली हैं उसकी ईडी-सीबीआई से जांच कराएं। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद हौज खास गांव के निवासियों के लिए शमशान घाट तुरंत बनाया जाये। सोमनाथ भारती ने बुधवार को जमीन कब्जाने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि बीजेपी गलत मुद्दा उठा रही है। मुद्दा हौज खास गांव के निवासियों के श्मशान घाट का है। लंबे समय से मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि गांव के लिए श्मशान घाट बने। उसकी जमीन बीजेपी नेता शैलेंदर सिंह मोंटी ने गबन करके होटल बना लिया। डीडीए ने 2015 में उस होटल का डेमोलिशन आर्डर पास किया। उसके बाद कई बार एसडीएम ऑफिस के लोगों ने डिमार्केशन करने के लिए प्रयत्न किया। लेकिन सबको गुंडागर्दी करके भगा दिया। उन्होंने कहा कि शैलेंदर सिंह मोंटी और उसके गुर्गे इकबाल चौहान, विजेंदर सिंह ने जब एसडीएम निधि सरोहे डिमार्केशन करने पहुंची तो उनको धमकाया। बीजेपी अपने आप को हिन्दू हितैषी कहती है लेकिन अब बीजेपी का यह नकाब उतर चूका है। हिन्दू हितैषी पार्टी हौज खास गांव के निवासियों को श्मशान घाट मिले इसका विरोध कर रही है।

### मोंटी पर चल रहा है सरिया चुराने का केस...

विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि मेरे राजनीती में आने से पहले हौज खास गांव के निवासियों ने पंचायत घर और स्कूल की जमीनों पर कब्जा करने की शिकायत उपराज्यपाल को 20 सितंबर 2012 को सौंपी थी। इस व्यक्ति के खिलाफ पंचायत घर का सरिया चुराने के ऊपर इस पर मुकदमा चल रहा है।

### मोंटी ने पार्षद बनने के बाद बनाई कई संपत्तियां

सोमनाथ भारती ने कहा कि शैलेंदर सिंह मोंटी के कारनामे पूरा क्षेत्र जानता है। 2007 मे पहली बार पार्षद बनने के बाद बहुत सारी जमीनों पर कब्जा किया। हर जगह उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसके हौज खास गांव के अंदर मकान नंबर 26, 27, टी-40, 47 है। ग्रीन पार्क स्टेडियम एक्सटेंशन इ-6, डी-15 मे भी मकान है। इसके अलावा गोवा मे पैलेस है। उसी प्रकार से इसने उतर प्रदेश मे सहारनपुर और कई जगहो पर जमीन खरीदी है। इन सबकी जांच होनी चाहिए।

## जीटीबी एंक्लेव आदर्श रामलीला कमेटी मामला : डीडीए अधिकारी तलब

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी) : कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली धार्मिक महासंघ की तरह से नाम देने के बावजूद आदर्श रामलीला कमेटी जीटीबी इंक्लेव की याचिका पर डीडीए अधिकारियों को तलब किया है। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिमांशु रमन सिंह ने डीडीए वाइस चैयरमेन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल लैंड सहित डीडीए के 6 अधिकारियों को अगली सुनवाई 22 सितंबर को तलब किया है। कमेटी ने याचिका के माध्यम से बताया है कि दिल्ली धार्मिक महासंघ की तरफ से नाम देने के बाद डीडीए ने रामलीला के मंचन के लिए जो भूमि आवंटित की थी, उसे डीडीए ने गैरकानूनी और मनमाने ढंग से रद्द कर दिया है। जबकि वह लंबे समय से रामलीला का मंचन करती आ रही है।

**सीवर में मौत...** 27 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

# हाईकोर्ट ने पुलिस व डीडीए को किया तलब

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर के भीतर जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दो लोगों की हुई मौत के मामले में बुधवार को दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच 11 सितंबर की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।



गौरतलब है कि 9 सितंबर को दिल्ली के मुंडका इलाके में सीवर में घुसे एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सफाई कर्मी सीवर को साफ करने गया था और जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गया था, जिसे बचाने सुरक्षा गार्ड भी सीवर में उतरा और वह भी बेहोश हो गया। उन्होंने बताया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के वकील ने अदालत को बताया कि जिस क्षेत्र मे घटना हुई है, वह डीडीए के अंतर्गत आता है और यहां तक कि मृत सफाईकर्मी भी डीडीए का कर्मचारी था। डीजेबी के वकील ने कहा कि मृतक के वैध उत्तराधिकारी को मुआवजा देने के लिए वह जिम्मेदार नहीं है और इसके लिए उचित प्राधिकार डीडीए है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वकील ने भी इसी तरह का तर्क दिया। अदालत की मदद के लिए नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और एनसीएसके को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसके बाद बेंच ने डीडीए, दिल्ली पुलिस और एनसीएसके को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

**सोमनाथ की बर्खास्तगी को लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन**

# सोमनाथ भारती ने किया सरकारी प्लॉट बेचकर करोड़ों का घोटाला : गुप्ता

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी): प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में करोड़ों के घोटाले होने के बाद अब सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचना भी शुरू हो गया है।

गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को मालवीय नगर क्षेत्र में आप विधायक सोमनाथ भारती द्वारा कब्रिस्तान की जमीन को बेचने और उसके साथ लगी डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आदेश गुप्ता ने सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि हौज खास क्षेत्र में प्रसिद्ध डियर पार्क के एक करोड़ों रुपये के हिस्से पर विधायक सोमनाथ भारती ने कब्जा कर लिया है। विरोध प्रदर्शन में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता आदित्य झा, पूर्व विधायक अनिल शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा और पूर्व निगम पार्षद नंदनी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

THE HINDU

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

# MPD-2041 to be placed before DDA in December: Centre

**Muneef Khan**
NEW DELHI

The Centre has informed the Supreme Court that the Master Plan for Delhi (MPD)-2041 will be placed before the Authority, the Delhi Development Authority's (DDA) highest decision-making body, in the first week of December 2022.

Additional Solicitor General Aishwarya Bhati, representing the Centre, also informed the apex court that further modifications in the draft MPD-2041, if any, will be done by the last week of December.

The letter regarding final approval and notification of MPD-2041 will be sent to the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), by January 15, 2023, the ASG added.

A Bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and Abhay S. Oka, which was hearing various pleas about illegal use of the city's residential areas for commercial and industrial purposes, asked the Centre to stick to its timeline.

**The Centre also informed the apex court that further modifications in the draft MPD-2041, if any, will be done by the last week of December**

"Even though the dates given are tentative, we expect these dates to be strictly adhered to as the matter cannot remain in limbo for ad infinitum. We are sure that the final Master Plan would be published on or before April 30, 2023," Supreme Court said in its September 13 order. When contacted, senior officials of DDA and MoHUA declined to comment.

The top court also appointed a two-member committee to hear challenges on orders passed by the Supreme Court-appointed monitoring committee in connection with sealing of properties, demolition of unauthorised construction etc.

# HC tells DDA, city police to reply on sewer death

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

The Delhi High Court on Wednesday asked the city police, the Delhi Development Authority and the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) to submit their respective stands in a case relating to two persons who allegedly died while cleaning a sewer earlier this month.

A Bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was hearing a public interest litigation initiated on its own, based on a news report which stated that a sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer.

Senior advocate Rajshekhar Rao, who was appointed as amicus curiae to assist the court in the case, said the police and the NCSK shall also be made parties to the petition. The Bench listed the matter for September 27.

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPER दैनिक भास्कर नई दिल्ली, गुरुवार 22 सितंबर, 2022 ----DATED----

### सोमनाथ के कार्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन

# भारती ने कब्रिस्तान की करोड़ों की जमीन कब्जा कर बेची : बिधूड़ी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

प्रदेश भाजपा ने आप विधायक सोमनाथ भारती पर डीडीए के भूमि में बने कब्रिस्तान का जमीन कब्जा कर बेचने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग लेकर मालवीय नगर कार्यालय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में करोड़ों के घोटाले होने के बाद अब केजरीवाल ने सरकार की जमीन पर कब्जा कर उन्हें बेचना शुरू कर दिया है।

गुप्ता ने कहा कि हौजखास क्षेत्र में प्रसिद्ध डियर पार्क के एक करोड़ों रुपये के हिस्से पर केजरीवाल के खासमखास विधायक सोमनाथ भारती ने उनकी शह पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कब्जे का काम वक्फ बोर्ड के सहयोग से कब्रिस्तान के साथ लगती जमीन पर किया गया है जो कि वास्तव में डीडीए की जमीन है।

पंजाब केसरी
22 सितम्बर, 2022 ▶ गुरुवार

# उपराज्यपाल के हस्तक्षेप से डीडीए के 15 दिन में बिके 870 फ्लैट

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नरेला में बने फ्लैट आखिरकार उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद बिकने लगे हैं। विज्ञापन जारी होने के महज 15 दिन के भीतर डीडीए द्वारा निकाले गए 1281 फ्लैटों में से 870 बिक गए हैं। पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत यह फ्लैट निकालने की वजह से डीडीए को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जानकारी के अनुसार डीडीए द्वारा कई वर्ष पहले नरेला में एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए गए थे। डीडीए ने कई आवासीय योजनाओं में इन फ्लैटों को बेचने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल रहे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद संभालने के बाद इन फ्लैटों को बेचने के नियम में बदलाव किया। उन्होंने इसे पहले आओ पहले पाओ के तहत बेचने की योजना बनाई। इसके अलावा वहां पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कही गई। उन्होंने पिछले अगस्त माह में हुई बैठक में खरीदार की आमदनी के नियम में भी संशोधन किया था।